न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 169/2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/342
दायर दिनांक :– 15.07.2025 निर्णय दिनांक :– 14.08.2025

1. जेठमल पुत्र मेघराज जाति सुनार निवासी बिरलोका तहसील व जिला नागौर
2. भंवरलाल पुत्र मेघराज जाति सुनार निवासी बिरलोका तहसील व जिला नागौर
3. रमेश पुत्र मेघराज जाति सुनार निवासी बिरलोका तहसील व जिला नागौर
4. भंवरीदेवी पत्नी मोहनलाल जाति सुनार निवासी बिरलोका तहसील व जिला नागौर
5. अमरचन्द सोनी पुत्र मोहनलाल जाति सुनार निवासी सुरसागर तहसील व जिला जोधपुर

–वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. श्री बुधाराम विश्नोई अधिवक्ता वादीगण
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि वादीगण के नाम ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडाना में खसरा नम्बर 3021/2010/1 रकबा 24–00 बीघा भूमि गैर खातेदारी की स्थित है। उक्त भूमि अजीताराम पुत्र भोपताराम के नाम आवंटन हुई थी और उसी दिन मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। उक्त आवंटन के आधार पर अजीताराम पुत्र भोपताराम के पक्ष में नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकृत हुआ। अजीताराम ने उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज मेघराज व मोहनलाल ने जरिये पंजीब, विक्रय पत्र के खरीद की थी और उसी दिन मौके पर चलकर पूर्व खातेदार विक्रेता ने वादीगण के पूर्वज मेघराज व मोहनलाल को कब्जा सुपुर्द करी दिया था और उक्त बेचाननामा के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण संख्या 88 मौजा तलरिया भी वादीगण के पूर्वज मेघराज व मोहनलाल को माफिक विक्रय पत्र खातेदार के रूप में दर्ज किया गया जो गिरदावरी सम्वत 2045 से 2062 तक बदस्तूर चलता रहा लेकिन आगामी गिरदावरी सम्वत 2063 से 2066 बनाते समय वादीगण के पूर्वज मेंघराज व मोहनलाल को खातेदार के स्थान पर गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। जबकि वादीगण के पूर्वज मेघराज व मोहनलाल ने उक्त भूमि खरीद की थी उस समय उक्त भूमि के पूर्व खातेदार विक्रेता के नाम खातेदारी में दर्ज थी। वर्तमान में मोहनलाल पुत्र प्रेमराज तथा मेघराज पुत्र प्रेमराज मौत हो चुके है और उक्त भूमि जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 470 व 351 मौजा तालरिया के वादीगण को प्राप्त हुई है। इसलिये वादीगण ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडाना तहसील बाप के खसरा नम्बर 3021/2010/1 रकबा 24–00 बीघा भूमि में गैर खातेदारी से खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

न्यायालय सहायक कलक्टर बाप

वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। समन बाद तामिल प्राप्त होने पर प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम नोख के खसरा नम्बर 2010/3021 रकबा 75-00 बीघा नामा संख्या 71 के द्वारा अजीताराम पुत्र भोपाराम जाति विश्नोई के नाम से गैर खातेदार दर्ज किया गया। मौजा तालरिया नामान्तरकरण संख्या 88 के द्वारा रकबा 37-10 बीघा भूमि मेघराज उर्फ मगराज, मोहनलाल पिता पेमराज जाति सुनार निवासी बिरलोका जिला नागौर दर्ज की गयी। मेघराज, मोहनलाल के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 351 व 470 के द्वारा वारिसान के नाम गैर खातेदार दर्ज की गयी। पटवारी हल्का द्वारा मौका जांच में पाया गया कि ग्राम तालरिया के खसरा नम्बर 2010/3021/1 रकबा 24-00 बीघा खेत के चारों तरफ तारबंदी कर कब्जा किया हुआ है जो वादीगण का कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू-राजस्व बकाया नही होने से वादी को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है। चूंकि वादीगण के वाद का प्रतिवादी की तरफ से कोई प्रतिरोध नही होने से पत्रावली में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वादीगण संख्या 3 रमेश के बयान पी.डब्लू-1 एवं हजारीराम पुत्र परमाराम के बयान पी.डब्लू-2 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई।

वकील वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप के खसरा नबर 2010/3021/1 रकबा 24-00 बीघा भूमि वर्तमान में वादीगण के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख गैर खातेदार दर्ज है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वज को खरीद अनुसार नामान्तरकरण संख्या 88 के जरिये दर्ज की गयी। जो वर्तमान में वादीगण के नाम विरासत नामान्तरकरण के गैर खातेदारी दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार चला आ रहा है जो तथ्य तहसीलदार बाप के जवाब से साबित है। इसलिए वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम तालरिया के खसरा नम्बर 2010/3021 रकबा 37-10 बीघा मेघराज, मोहनलाल के नाम खातेदारी दर्ज थी। मेघराल, मोहनलाल के फौत होने पर इनके वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 351 व 470 के जरिये वादीगण के नाम गैर खातेदार दर्ज किया गया। पटवारी हल्का द्वारा मौका जांच में पाया गया कि ग्राम तालरिया के खसरा नम्बर 2010/3021/1 रकबा 24-00 बीघा खेत के चारों तरफ तारबंदी कर कब्जा किया हुआ है जो वादीगण का कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू-राजस्व बकाया नहीं होने से वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है।

अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया जिससे यह साबित है कि उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडाना तहसील बाप के खसरा नंबर 2010/3021/1 रकबा 24-00 बीघा भूमि वर्तमान में वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वज मेघराज व मोहनलाल के नाम खसरा नम्बर 2010/3021 रकबा 37-10 बीघा खरीद अनुसार खातेदारी की दर्ज की गयी। उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 351 के जरिये गैर खातेदारी की दर्ज की गयी। जो वर्तमान में

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

वादीगण के नाम भी गैर खातेदारी की दर्ज है। उक्त भूमि पर वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त है इन तथ्यों को तहसीलदार बाप ने अपने जवाब मे कथन किया है। इसी अनुसार वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडाना तहसील बाप के खसरा नंबर 2010/3021/1 रकबा 24-00 बीघा भूमि में वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादीगण के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) राजकोष में जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करे। डिकी पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बाप (फलोदी)

(सुखेराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर बाप

FILE NO. :

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप जिला–फलोदी

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. जेठमल पुत्र मेघराज जाति सुनार निवासी बिरलोका तहसील व जिला नागौर
2. भवरलाल पुत्र मेघराज जाति सुनार निवासी बिरलोका तहसील व जिला नागौर
3. रमेश पुत्र मेघराज जाति सुनार निवासी बिरलोका तहसील व जिला नागौर
4. भवरीदेवी पत्नी मोहनलाल जाति सुनार निवासी बिरलोका तहसील व जिला नागौर
5. अमरचन्द सोनी पुत्र मोहनलाल जाति सुनार निवासी सुरसागर तहसील व जिला जोधपुर

–वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या:–169/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर श्री बुधाराम विश्नोई मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडाना तहसील बाप के खसरा नंबर 2010/3021/1 रकबा 24–00 बीघा भूमि में वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादीगण के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) राजकोष में जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें।नीचे

मुतालिक

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल याबी तक

बाबत्

फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.08.2025 जारी की गई।

14/8/25

सहायक (सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)

बाप (फलोदी) सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।